नामांकन, ठहराव तथा ड्रॉप-आउट की समझ एवं इसके शैक्षिक निहितार्थ

उमेश गुप्ता*

आज विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपने उच्चतर विकास के लिए बनाए जा रहे रोडमैप, नीतियों एवं योजनाओं में शैक्षिक आँकड़ों को प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। चूँकि शैक्षिक योजनाएँ सामाजिक-आर्थिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं, इसलिए विश्वसनीय एवं विस्तृत शैक्षिक आँकड़े आवश्यक हैं। भारत एक बहुत अधिक विषमता एवं विविधता वाला देश है और शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, जेंडर, क्षेत्रीय इत्यादि आधारों पर विषमता परिलक्षित होती है। इस शैक्षिक परिदृश्य में नामांकन, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट महत्वपूर्ण चर हैं और ये बड़े पैमाने पर शैक्षिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक भी हैं। भारत के राज्यों में इन शैक्षिक चरों में बड़ी विविधता पाई जाती है। इस विविधता को जानने-समझने एवं इसके आकलन व विश्लेषण के लिए इन चरों के अर्थ, प्रकृति एवं इनके मुख्य संकेतकों (इंडिकेटर) को जानना-समझना आवश्यक है। इसलिए इस शोध पत्र में नामांकन, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट के अर्थ, प्रकृति एवं इनके शैक्षिक निहितार्थ को उकेरने का प्रयास किया गया है। यह शोध पत्र पाठकों में यह समझ विकसित करेगा कि आखिरकार किसी भी देश में लोगों तक शिक्षा की पहुँच एवं विद्यालयों में ठहराव एवं ड्रॉप-आउट के क्या मतलब हैं? इसे कैसे जाना-समझा जा सकता है और इस तथ्य का आकलन कैसे किया जा सकता है? इस शोध पत्र से प्राप्त अंतर्दृष्टि शिक्षा से संबंध रखने वाले उन सभी व्यक्तियों खासकर शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षा प्रशासकों में, शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के नामांकन के अर्थ, नामांकन के मुख्य संकेतक, संकेतकों के गणना करने की विधि, संकेतकों के बीच तकनीकी अंतर, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट उपाय एवं उनके शैक्षिक निहितार्थ के संबंध में एक गूढ़ समझ विकसित होगी।

राष्ट्र के सर्वोच्च विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आज विश्व के अधिकांश देशों द्वारा अपने उच्चतर विकास के लिए बनाए जा रहे रोडमैप, नीतियों एवं योजनाओं में शैक्षिक आँकड़ों को प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। शिक्षा संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय विकास का एक अभिन्न अंग समझ कर इसे राष्ट्रीय मुद्दों के रूप में देखने एवं समझने की कोशिश की जा रही है। आज विश्व के अधिकांश नीति-निर्धारक शैक्षिक विकास को राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण ज़रिया समझने लगे हैं तथा शैक्षिक कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सूझबूझ के साथ कार्ययोजना बनाने का प्रयास कर

* *शोधार्थी*, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221005

© NCERT not to be republished

रहे हैं। चूँकि शैक्षिक योजनाएँ सामाजिक-आर्थिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं, इसलिए शिक्षा से संबंधित विश्वसनीय एवं विस्तृत आँकड़े आवश्यक हैं।

नामांकन का शाब्दिक अर्थ 'नाम अंकित' कराना है। यहाँ नामांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु शैक्षणिक संस्थाओं में वैधानिक रूप से दाखिला कराने से है। इसके अंतर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों की विभिन्न कक्षाओं की उपस्थिति पंजिका में विद्यार्थियों का वैधानिक रूप से नाम अंकित किया जाता है। बड़े पैमाने पर शैक्षिक प्रगति के लिए नामांकन एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत के राज्यों में नामांकन, धारण तथा ड्रॉप-आउट दरों में बड़ी विविधता पाई जाती है।

नामांकन अनुपात

आमतौर पर नामांकन अनुपात से तात्पर्य किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या में से उस कक्षा (शिक्षा स्तर) में नामांकित कुल विद्यार्थियों के हिस्से या संख्या से है। उदाहरण के लिए, देश में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग के 10 करोड़ विद्यार्थियों में से कक्षा 10 में किसी वर्ष (संभवतः इस कक्षा में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी होते हैं।) आठ करोड़ विद्यार्थी नामांकित हैं। अतः नामांकन अनुपात 08:10 करोड़ होगा। दूसरे शब्दों में, नामांकन अनुपात से तात्पर्य किसी कक्षा विशेष में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या एवं उस कक्षा के अनुरूप आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने से है। शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए मुख्य रूप से दो मानक अनुपातों का प्रयोग किया जाता है— सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) एवं शुद्ध नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.)।

सकल नामांकन अनुपात का अर्थ

सकल नामांकन अनुपात किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) में नामांकित विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति या संख्या निर्धारण हेतु एक सांख्यिकी माप है तथा इसे विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से सकल नामांकन अनुपात को एक शैक्षिक सूचकांक के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर लोगों की सामान्य सहभागिता को प्रदर्शित करने के लिए इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। यह किसी देश की शैक्षिक प्रगति का एक मुख्य प्राचल (पैरामीटर) है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने शिक्षा सूचकांकों के रूप में इस सांख्यिकी माप का प्रयोग विभिन्न शिक्षा स्तर या ग्रेड में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को जानने के लिए किया है। यह किसी देश की शैक्षिक प्रगति का आईना है जो यह प्रदर्शित करता है कि देश की शिक्षा प्रणाली एक निश्चित आयु समूह के कितने प्रतिशत लोगों की शिक्षा में सहभागिता सुनिश्चित करने में सक्षम है।

सकल नामांकन अनुपात से तात्पर्य किसी शैक्षणिक वर्ष में उम्र की परवाह किए बिना किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या एवं उस कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या के अनुपात को प्रतिशत रूप में व्यक्त करने से है। सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है—

© NCERT not to be republished

$$GER^t_h = E^t_h / P^t_{h,a} \times 100$$

जहाँ GER^t_h = शैक्षणिक वर्ष t में कक्षा (शिक्षा स्तर) h में सकल नामांकन अनुपात,

E^t_h = शैक्षणिक वर्ष t में कक्षा (शिक्षा स्तर) h में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या,

P^t_h = शैक्षणिक वर्ष t में कक्षा (शिक्षा स्तर) h के अनुरूप a आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कुल संख्या।

दूसरे शब्दों में, किसी शैक्षणिक वर्ष में उम्र की परवाह किए बिना किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या को उसी कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आधिकारिक आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा करने पर प्राप्त अंक सकल नामांकन अनुपात कहलाता है। सकल नामांकन अनुपात को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

उदाहरण 1

किसी शैक्षणिक वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा स्तर (कक्षा 1–8) पर सकल नामांकन अनुपात संबंधित शैक्षणिक वर्ष में कक्षा (1–8) में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या

$$GER = \frac{\text{संबंधित शैक्षणिक वर्ष में कक्षा (1–8) में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या}}{\text{6–14 वर्ष आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की संख्या}} \times 100$$

मान लीजिए कि 6–14 आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में प्रारंभिक शिक्षा स्तर (1–8) पर कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 125,000 एवं शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में 6–14 वर्ष आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की संख्या 150,000 हो तो सकल नामांकन अनुपात

$$GER = 125{,}000/150{,}000 \times 100$$
$$= 0.833333 \times 100$$
$$= 83.34\%$$

इस प्रकार से वर्ष 2019–20 में प्रारंभिक शिक्षा स्तर (1–8) पर सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) 83.34 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

विशेष रूप से सकल नामांकन अनुपात का प्रयोग किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) में विद्यार्थियों के सामान्य सहभागिता स्तर को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह ध्यातव्य है कि सकल नामांकन अनुपात में उस कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आधिकारिक आयु वर्ग के साथ ही साथ उससे उच्च आयु वर्ग एवं निम्न आयु वर्ग के नामांकित विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाता है। सकल नामांकन अनुपात की गणना विभिन्न चरों, जैसे— आयु, जेंडर, वर्ग, जाति, बसावट आदि के आधार पर किया जा सकता है। उच्च जी.ई.आर. विद्यार्थियों के उच्च सहभागिता स्तर को प्रदर्शित करता है, चाहे विद्यार्थी उस आधिकारिक आयु वर्ग से संबंधित हो अथवा नहीं। जी.ई.आर. का मान 100 प्रतिशत या 100 प्रतिशत से अधिक भी हो सकता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि उस आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को समायोजित करने में सक्षम है, परंतु इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि उस कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थी नामांकित हों।

शुद्ध नामांकन अनुपात का अर्थ

शुद्ध नामांकन अनुपात से तात्पर्य किसी शैक्षणिक वर्ष में किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आयु

© NCERT not to be republished

वर्ग के नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या एवं उस कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कुल संख्या के अनुपात को प्रतिशत रूप में व्यक्त करने से है।

दूसरे शब्दों में, शुद्ध नामांकन अनुपात को एक निश्चित स्तर की शिक्षा के लिए आधिकारिक आयु वर्ग का नामांकन उसी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध नामांकन अनुपात को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है।

$$NER^t_h = E^t_{h,a}/P^t_{h,a} \times 100$$

जहाँ NER^t_h = शैक्षणिक वर्ष t में कक्षा (शिक्षा स्तर) h में शुद्ध नामांकन अनुपात,

$E^t_{h,a}$ = शैक्षणिक वर्ष t में h कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप a वर्ग-समूह के नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, P^t_h = शैक्षणिक वर्ष t में h कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप a वर्ग-समूह के विद्यार्थियों की कुल जनसंख्या।

इस प्रकार, किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) में आधिकारिक आयु वर्ग के नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या को उसी कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आधिकारिक आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग देकर 100 से गुणा करने पर प्राप्त अंक शुद्ध नामांकन अनुपात कहलाता है।

उदाहरण 1

किसी शैक्षणिक वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा स्तर (1–8) पर शुद्ध नामांकन अनुपात संबंधित शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1–8 में 6–14 वर्ष के

$$NER = \frac{\text{नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या}}{\text{6–14 वर्ष आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या}} \times 100$$

मान लिया जाए की शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में, प्रारंभिक शिक्षा स्तर (1–8) पर 6–14 वर्ष आयु वर्ग के कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या 105,000 एवं शैक्षणिक वर्ष 2017–18 में, 6–14 आयु वर्ग के कुल विद्यार्थियों की जनसंख्या 150,000 हो तो शुद्ध नामांकन अनुपात,

$$NER = 105,000/150,000 \times 100$$
$$= 0.7 X100$$
$$= 70\%$$

शुद्ध नामांकन अनुपात किसी कक्षा (शिक्षा स्तर) में आधिकारिक आयु वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के एक निश्चित सहभागिता की सीमा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसमें उस कक्षा (शिक्षा स्तर) के अनुरूप आधिकारिक आयु वर्ग के उच्च एवं निम्न, दोनों आयु वर्ग के नामांकित विद्यार्थियों को शामिल नहीं किया जाता है। शुद्ध नामांकन अनुपात की गणना भी विभिन्न चरों, जैसे— आयु, जेंडर, वर्ग, जाति, बसावट आदि के आधार पर किया जा सकता है। उच्च एन.ई.आर. उस आधिकारिक आयु वर्ग के विद्यार्थियों के उच्च सहभागिता स्तर को प्रदर्शित करता है। सैद्धांतिक रूप से एन.ई.आर. का न्यूनतम मान 0 प्रतिशत एवं अधिकतम मान 100 प्रतिशत हो सकता है। यदि एन.ई.आर. का मान 100 प्रतिशत से कम है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस कक्षा (शिक्षा स्तर) के आधिकारिक आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का एक निश्चित हिस्सा (विद्यार्थियों के समूह) नामांकित नहीं हैं, वहीं एन.ई.आर. का मान 100 प्रतिशत है तो इसका मतलब है कि उस आधिकारिक आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थी नामांकित हैं।

© NCERT not to be republished

सकल नामांकन अनुपात एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में मुख्य अंतर

सकल नामांकन अनुपात एवं शुद्ध नामांकन अनुपात में मुख्य अंतर यह है कि जी.ई.आर. में आयु वर्ग की परवाह किए बिना उस कक्षा (शिक्षा स्तर) में नामांकित समस्त विद्यार्थियों (आधिकारिक आयु वर्ग के साथ-साथ निम्न एवं उच्च आयु वर्ग के समस्त विद्यार्थियों) को शामिल किया जाता है, जबकि एन.ई.आर. में केवल आधिकारिक आयु वर्ग के नामांकित विद्यार्थियों को ही शामिल किया जाता है। यही कारण है कि जी.ई.आर. का अधिकतम मान 100 प्रतिशत से अधिक हो सकता है जबकि एन.ई.आर. का अधिकतम मान 100 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं हो सकता है।

भारत में विभिन्न शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात का एक परिदृश्य

भारत एक बहुत अधिक विषमता एवं विविधता वाला देश है। शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, जेंडर, क्षेत्रीय इत्यादि आधारों पर विषमता परिलक्षित होती है। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक प्रथाएँ रुकावटें पैदा करती हैं। धार्मिक व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जेंडर आधारित भेदभाव, आर्थिक विपन्नता, कम उम्र में शादी इत्यादि ऐसे बहुत से कारक हैं जो विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति उदासीन बना देते हैं। इस कारण शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह की अन्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का उसकी सामाजिक गतिशीलता से घनिष्ठ संबंध होता है (मोतीराम और सिंह, 2012, दुर्खीम 1922; सोरोकिन 1927 और अन्य)। भारत जैसे विकासशील देश, जहाँ कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक और राजनैतिक मतभेद हों, में सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना और उन्हें स्कूलों में बनाए रखना एक चुनौती है। स्कूलों में नामांकित होने वाले और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों के अनुपात के मामलों में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समुदायों के बीच गहरी विषमता देखी जाती है (*राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*)। अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन (2004) ने एक अध्ययन में पाया कि ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रक्रिया में सामाजिक-आर्थिक स्थिति एक बड़ी बाधा है तथा भारत में शैक्षिक अपवंचन का प्रमुख कारण जाति, वर्ग और जेंडर की सामाजिक असमानताएँ हैं। भारत के कुछ राज्यों, जैसे— बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि में कम साक्षरता, निम्न नामांकन और उच्च ड्रॉप-आउट दरे हैं। ऐसे राज्यों में शिक्षा के किसी भी स्तर पर सार्वभौमिक नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। यद्यपि निरक्षरता को जड़ से खत्म करने के लिए शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होगा। परंतु यदि विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रखने में किसी कारणवश विफल होता है तो हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएँगे।

तालिका 1— भारत में विभिन्न शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (% में)

शिक्षा स्तर	सकल नामांकन अनुपात (% में)
प्रारंभिक शिक्षा	91.64
माध्यमिक शिक्षा	79.55
उच्च शिक्षा	26.30

स्रोत— यू-डायस प्लस 2018–19 (प्रोविज़नल), नीपा, नई दिल्ली एवं AISHE रिपोर्ट

© NCERT not to be republished

तालिका 1 में विभिन्न शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात को प्रदर्शित किया गया है। सकल नामांकन अनुपात के दिए गए इन आँकड़ों का विभिन्न संदर्भों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है, जैसे— बढ़ता हुआ शिक्षा स्तर एवं घटता हुआ सकल नामांकन अनुपात के आधार पर विश्लेषण इत्यादि। सकल नामांकन अनुपात संबंधी आँकड़े विभिन्न चरों, जैसे— जाति, धर्म, वर्ग, बसावट, जेंडर इत्यादि आधारों पर प्राप्त होते हैं तथा इन आधारों पर भी इसका विश्लेषण किया जा सकता है।

ठहराव एवं ड्रॉप-आउट

शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुखता से प्रयुक्त किए जाने वाले दो महत्वपूर्ण चर 'ठहराव एवं ड्रॉप-आउट' (रिटेंशन एंड ड्रॉप-आउट) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठहराव एवं ड्रॉप-आउट विशुद्ध रूप से एक-दूसरे के व्युत्क्रम हैं। 'ठहराव' से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकन के बाद एक निश्चित स्तर की शिक्षा (प्रमाणपत्र या डिप्लोमा अथवा उपाधि) प्राप्त करने तक रुकने (ठहराव) से है, वहीं विद्यार्थियों द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था में नामांकन के बाद एक निश्चित स्तर की शिक्षा ग्रहण किए बिना किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की घटना ड्रॉप-आउट कहलाती है। उच्च या निम्न ठहराव दर, निम्न या उच्च ड्रॉप-आउट दर का कारण है। सैद्धांतिक रूप से, ठहराव दर एवं ड्रॉप-आउट दर का योग 100 प्रतिशत होना चाहिए। इस प्रकार से ठहराव दर का मान 100 प्रतिशत में से ड्रॉप-आउट दर को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। अतः किसी शैक्षणिक सत्र में ठहराव दर = 100 प्रतिशत— संबंधित शैक्षणिक सत्र में ड्रॉप-आउट दर।

ड्रॉप-आउट की गणना किसी विशेष कक्षा या ग्रेड या वार्षिक आधार पर की जाती है। कक्षा या ग्रेड आधारित ड्रॉप-आउट की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी शैक्षणिक वर्ष (t) में किसी कक्षा या ग्रेड (g) में ड्रॉप-आउट

$dt^t_g = D^t_g / E^t_g \times 100$

जहाँ D^t_g= शैक्षणिक वर्ष t में कक्षा या ग्रेड g में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी, जो अब नामांकित नहीं हैं,

E^t_g = शैक्षणिक वर्ष t में g कक्षा या ग्रेड में नामांकित कुल विद्यार्थियों की संख्या।

तालिका 2— भारत में विभिन्न शिक्षा स्तर पर ड्रॉप-आउट दर (% में)

शिक्षा स्तर	ड्रॉप-आउट दर (% में)
प्रारंभिक शिक्षा	2.72
माध्यमिक शिक्षा	9.74

स्रोत— यू-डायस प्लस 2018–19 (प्रोविजिनल), नीपा, नई दिल्ली

तालिका 2 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ड्रॉप-आउट दर को प्रदर्शित किया गया है। ड्रॉप-आउट दर के दिए गए इन आँकड़ों का विभिन्न संदर्भों के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ड्रॉप-आउट की दर प्रारंभिक शिक्षा के तीन गुना से भी अधिक है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर उच्च ड्रॉप-आउट दर के सामाजिक-आर्थिक कारणों के अलावा एक अन्य गंभीर कारण और शायद जो बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इस पर सबसे कम ध्यान दिया गया है, वह है शिक्षा प्राप्त करने में अदृश्य लागत। शिक्षा में अदृश्य लागत से तात्पर्य उन खर्चों से है जो शिक्षा प्राप्त करने में सरकार द्वारा निर्धारित फ़ीस के अतिरिक्त अन्य

खर्चों, जैसे— किताब, ट्यूशन, परिवहन, अवसर लागत व अन्य खर्च के रूप में एक अभिभावक को वहन करना पड़ता है। इसके साथ ही भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतया राज्य द्वारा वित्तपोषित है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा राज्य द्वारा पूर्णतया पोषित या सहायित नहीं है। इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत अपेक्षाकृत अधिक है। शिक्षा में बढ़ती हुई अदृश्य लागत नामांकन एवं ड्रॉप-आउट को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है (नवाचों, जार्ज अवेबा, 2011; न्यामबुरा नैन्सीमचुरी, 2013 और अन्य)। शिक्षा में अदृश्य लागत, जैसे—विद्यालय में परीक्षा खर्च, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर खर्च बच्चों के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करता है (न्यामबुरा नैन्सीमचुरी, 2013; जोसेफ, 2015)।

जिस प्रकार से 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, समग्र शिक्षा आदि अधिनियम तथा योजनाओं के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अदृश्य लागत लगभग न के बराबर हुई है, परिणामस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हुई है एवं 'विद्यालय बीच में छोड़ देने की दर' (ड्रॉप-आउट) भी कम हुई है। ठीक उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा में भी ऐसी पहल की ज़रूरत है जिससे सकल नामांकन अनुपात संबंधी आँकड़े विभिन्न चरों, जैसे— जाति, धर्म, वर्ग, बसावट, जेंडर इत्यादि आधारों पर प्राप्त होते हैं तथा इन आधारों पर भी इसका विश्लेषण किया जा सकता है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 में पिछले वर्षों की अपेक्षा शिक्षा के सभी स्तरों पर बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी है।

नामांकन दर में वृद्धि एवं स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए भारत सरकार के प्रयास

वर्ष 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी। उनके लिए न सिर्फ़ साक्षरता आवश्यक है, बल्कि उन्हें रोज़गार व जीवन कौशल की भी ज़रूरत है (सीतारमन, निर्मला, 2020)। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 18 वर्ष तक के बच्चों का प्रतिनिधित्व 39 प्रतिशत है तथा प्रत्येक 10 भारतीयों में से एक भारतीय 14–18 आयु वर्ग का है। अतः इस आयु वर्ग का शिक्षा व्यवस्था तक पहुँच का मुद्दा महत्वपूर्ण शैक्षिक नीतियों से संबंधित है, क्योंकि यह आयु वर्ग एक ऊर्जावान कार्यबल है और उनके विकास में हमारा निवेश ही यह निर्धारित करेगा की इस मानव शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चे, जो भारत का भविष्य हैं, के लिए स्कूली शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि वे जीवन के लिए आवश्यक कौशल एवं मूल्यों को सीख सकें। यद्यपि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं ने नीति, कानून, आधारभूत संरचना, सुविधा, प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति इत्यादि हेतु कुछ सकारात्मक पहल की हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा एवं मध्याह्न भोजन योजना जैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के परिणामस्वरूप भारत में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ ही साथ विद्यालय छोड़ने की दर भी कम हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा को गतिशील बनाने एवं देश की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने हेतु अनेक आयोगों एवं समितियों

© NCERT not to be republished

का गठन किया गया। समय-समय पर विभिन्न शिक्षा नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाए गए। मार्च 2009 में प्रारंभ किया गया 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' में विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की पहल की गई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा स्तर (9–10) पर नामांकन दर 90 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर पर 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना में वर्ष 2017 तक सभी को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता (100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात) प्रदान करना था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में माध्यमिक स्तर (9–10) व उच्च माध्यमिक स्तर (11–12) पर सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) क्रमशः 75 प्रतिशत व 65 प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया था, फिर बाद में बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा स्तर (9–10) पर लगभग सार्वभौमिक नामांकन दर प्राप्त करने के साथ ही साथ सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) 90 प्रतिशत से अधिक व उच्च माध्यमिक स्तर (11–12) पर सकल नामांकन अनुपात (जी.ई.आर.) क्रमशः 65 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। 14–18 वर्ष की लड़कियों की नामांकन में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार ने मई 2018 में 'माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना' (सिर्फ़ अनुसूचित जाति/जनजाति की लड़कियों हेतु) की शुरुआत की थी।

राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनामांकन एवं ड्रॉप-आउट संबंधी आँकड़ों पर गौर किया जाए तो हम पाएँगे कि स्कूली शिक्षा के पाँचवीं, आठवीं एवं माध्यमिक स्तर पर अनामांकन एवं ड्रॉप-आउट अपेक्षाकृत अधिक है। इसके साथ ही साथ जेंडर के आधार पर बालिकाओं के संदर्भ में अनामांकन एवं ड्रॉप-आउट अपेक्षाकृत अधिक है। अमूमन मध्याह्न भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, आर.टी.ई. अधिनियम एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के परिणामस्वरूप स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर नामांकन में वृद्धि हुई है। परंतु सवाल यह रहा कि क्या नामांकित विद्यार्थियों को वह शिक्षा मिल पा रही है जिस उद्देश्य से वे संबंधित कक्षाओं में नामांकित हुए थे? क्या शिक्षा के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास हो पा रहा है? क्या उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पा रही है जिसके वे हकदार हैं? क्या इस शिक्षा की बदौलत 21वीं सदी के लिए आवश्यक कार्यबल तैयार किया जा सकता है? भारत सरकार के सामने ऐसे अनेक प्रश्न एवं समस्याएँ थीं जिनका समाधान आवश्यक था। इन प्रश्नों एवं समस्याओं के समाधान के लिए तथा स्कूली शिक्षा कि बेहतरी के लिए भारत सरकार ने 24 मई, 2018 को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा को एकजुट करते हुए समग्र शिक्षा अभियान कि शुरुआत की। समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा; स्कूली शिक्षा की निरंतरता को कायम रखना; जेंडर असमानता को कम करना; पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा पर विशेष ध्यान देना एवं दूर-दराज़ के क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था करना; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं कक्षा तक करना; दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रतिमाह 200 रूपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान

© NCERT not to be republished

करना; शैक्षिक अनुदान में वृद्धि करना; पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास करना; कौशल विकास का स्कूली शिक्षा में समायोजन का प्रयास करना इत्यादि। इस प्रकार से समग्र शिक्षा का उद्देश्य समाज के सभी जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर के विद्यार्थियों के लिए स्कूली शिक्षा की पहुँच को आसान करना एवं स्कूली शिक्षा की निरंतरता को जारी रखते हुए उनका सर्वांगीण विकास करना है। समग्र शिक्षा के परिणामस्वरूप न केवल नामांकन में वृद्धि हो रही है बल्कि ड्रॉप-आउट में भी कमी हो रही है, जो स्कूली शिक्षा के लिए एक बेहतर संकेत है।

नामांकन, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट संबंधित शैक्षिक आँकड़े प्रकाशित करने वाले प्रमुख भारतीय संस्थान या एजेंसी

1. **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली**— राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यतः तीन संगठन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एवं राष्ट्रीय सूचना केंद्र मिलकर स्कूली शिक्षा संबंधी विभिन्न आँकड़े संकलित करके व्यवस्थित प्रकाशन करते हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर नामांकन एवं अन्य शैक्षिक आँकड़े भी समाहित रहते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संचालित अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण भारत में स्कूली शिक्षा के लिए शैक्षिक सांख्यिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके द्वारा अब तक छह सर्वेक्षण किए गए हैं। इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों संबंधी नामांकन के आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। यह एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण है।

2. ***यू-डायस*, नीपा (राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान), नई दिल्ली**— *यू-डायस*, नीपा द्वारा प्रबंधित शिक्षा के सभी मानदंडों पर शैक्षिक आँकड़ों का एक प्रमुख स्रोत है। यह विभिन्न शैक्षिक चरों के आधार पर नामांकन एवं उनके प्रमुख संकेतकों, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट के आँकड़े प्रस्तुत करता है। *यू-डायस* स्कूली शिक्षा का पूरे भारतवर्ष का एक पूर्ण शैक्षिक चित्र प्रस्तुत करता है। यह जिलावार, राज्यवार स्कूली शिक्षा संबंधी नामांकन के आँकड़े प्रस्तुत करता है। यह एक जनगणना सर्वेक्षण है।

3. **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता व उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली**— इसके अंतर्गत शैक्षिक आँकड़ों से संबंधित कई वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, जैसे— *स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ स्कूल एजुकेशन, एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, एजुकेशन इन इंडिया, हैंडबुक ऑफ़ एजुकेशन एंड एलायड स्टैटिस्टिक्स* (अकेजनल रिपोर्ट), *नेशनल लेवल एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लान्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन* इत्यादि।

4. **ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (ए.आई.एस.एच.ई.), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली**— देश में उच्च शिक्षा संबंधी शैक्षणिक आँकड़े चित्रित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ने ए.आई.एस.एच.ई. का संचालन करना प्रारंभ किया। इसके द्वारा उच्च शिक्षा में नामांकन एवं शैक्षिक चरों से संबंधी आँकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं।

© NCERT not to be republished

5. **अन्य संस्थान**— उपरोक्त प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के अलावा कुछ अन्य संस्थान व एजेंसी हैं जो उद्देश्य केंद्रित शैक्षिक आँकड़े संकलित एवं प्रकाशित करते हैं, जैसे— नेशनल काउंसिल ऑफ़ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एन.सी.ए.ई.आर.), आई.सी.ए.बार., एन.एस.एस.ओ., एन.एफ़.एच.एस. इत्यादि।

ड्रॉप-आउट के रोकथाम के उपाय

शैक्षिक उपाय

ड्रॉप-आउट के रोकथाम के शैक्षिक उपाय से तात्पर्य शिक्षा के मुख्य हितधारकों— छात्र, शिक्षक (विद्यालय परिवार) एवं अभिभावकों से संबंधित कारकों से है, जो अग्रलिखित हैं—

1. ड्रॉप-आउट की संभावना वाले बच्चों के साथ उनके अभिभावक एवं शिक्षकों की अतिरिक्त संलग्नता के साथ सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति धनात्मक दृष्टिकोण का विकास हो, शैक्षिक संलग्नता बढ़े और ड्रॉप-आउट की संभावना कम हो।
2. विद्यालय में विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति की जाँच और विद्यार्थियों द्वारा लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित होने पर उसके कारणों को जानना तथा यथासंभव उसका निदान करना। शैक्षिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को फ़ीडबैक देना, उनकी शैक्षिक समस्याओं पर ध्यान देना तथा यथासंभव उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षण एवं ज्ञान संबंधी गतिविधियों में परिवर्तन करना।
3. शिक्षकों का तदानुभूतिपूर्ण व्यवहार— कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गलत उत्तर देने पर उनकी आलोचना न करना, बच्चों को मस्तिष्क शून्य न समझना, कक्षा में केवल कुछ ही विद्यार्थियों को बेहतर न समझना।
4. स्कूल की भौतिक अवसंरचना का विकास, लचीला पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थियों को स्कूल में ठहराव के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का समुचित उपाय करना तथा उनके नामांकन एवं ठहराव को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

गैर-शैक्षिक उपाय

ड्रॉप-आउट के रोकथाम के गैर-शैक्षिक उपाय से तात्पर्य विद्यार्थियों या अभिभावकों के सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों से है, जो अग्रलिखित हैं—

1. विभिन्न शोधों से यह पता चलता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों की ड्रॉप-आउट की अधिक संख्या है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे बच्चों के लिए सरकार को छात्रावास, छात्रवृत्ति, पोशाक एवं अध्ययन सामग्री के साथ-साथ समुचित परामर्श की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों के अंदर स्कूल में ठहराव की प्रवृत्ति का विकास हो सके।
2. यह ज़मीनी हकीकत है कि अधिकतर बच्चे अपने परिवार की आजीविका का मुख्य साधन हैं, जिसके कारण ऐसे बच्चों के ड्रॉप-आउट होने की अधिक संभावना होती है और ऐसे बच्चे गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। अतः सरकार एवं नीति-निर्माताओं द्वारा ऐसी नीतियाँ बनाई जानी चाहिए जो गरीबी को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकें।

© NCERT not to be republished

3. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा एवं बेरोज़गारी एक ज्वलंत समस्या है जिसके कारण ऐसे परिवार के बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वे शिक्षा के तात्कालिक लाभ व आर्थिक लाभ चाहते हैं। अतः शिक्षा व्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए कि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ या बाद में जीविकोपार्जन भी कर सकें।
4. शैक्षिक नीतियाँ बनाते समय वंचित वर्ग के लोगों की ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए समान अवसर का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
5. सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता का आयोजन, नुक्कड़ नाटक, मीडिया के माध्यम से शैक्षिक योजनाओं के प्रचार-प्रसार द्वारा किया जाना चाहिए ताकि खासतौर से ग्रामीण जनता सरकार की शैक्षिक नीतियों एवं योजनाओं के प्रति जागरूक रह सके एवं उसका लाभ उठा सके। इससे अभिभावक एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि का विकास होगा और असमय विद्यालय छोड़ने की दर कम होगी।

शैक्षिक निहितार्थ

आज के वैश्विक परिवेश में साक्ष्य आधारित योजना का निर्माण करना न केवल इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है कि सामाजिक क्षेत्र में उच्च निवेश को सही ठहराया जा सके, बल्कि भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए उचित योजना एवं नीति-निर्माण के लिए विश्वसनीय एवं विस्तृत सांख्यिकी आधार की ज़रूरत होती है। चूँकि शैक्षिक योजनाएँ सामाजिक-आर्थिक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं, इसलिए भी विश्वसनीय एवं विस्तृत आँकड़े आवश्यक हैं। सरकारी योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मात्रात्मक एवं गुणात्मक तथ्यों पर आधारित प्रभावशाली एवं विश्वनसनीय सूचनाओं पर आधारित होता है।

छह से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता है। भारत सरकार द्वारा सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना 1995, सर्व शिक्षा अभियान 2001 जैसी महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ प्रारंभ की। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा में न केवल मात्रात्मक वृद्धि हो, बल्कि संतोषजनक गुणात्मक वृद्धि भी हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' बनाया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 8(च) एवं 9(ङ) के अनुसार, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार अपनी अधिकारिता के भीतर निवास करने वाले प्रत्येक बालक द्वारा प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति एवं उसे पूरा करने को सुनिश्चित और निगरानी करेगा। आर.टी.ई. अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 को ध्यान में रखते हुए नामांकन के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात एवं कक्षा व भवन जैसे मानव संसाधन व भौतिक संसाधन सुनिश्चित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से नामांकन संबंधी आँकड़ों के आधार पर ही विद्यालय के लिए मान और मानक सुनिश्चित

© NCERT not to be republished

किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 12(1ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार से अपने संपूर्ण व्यय या उसके भाग की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार की सहायता या अनुदान प्राप्त न करने वाला कोई गैर-सहायता प्राप्त विद्यालय पहली कक्षा में, आस-पास में दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को, उस कक्षा के बच्चों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा होने तक प्रदान करेगा।

इस अधिनियम की शर्तों को सुनिश्चित करने हेतु नामांकन संबंधी आँकड़े का होना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के अनुसार समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकार अध्ययन सामग्री एवं धारा 4(3घ) के अनुसार स्कूल यूनिफ़ार्म सुनिश्चित करने का आधार नामांकन संबंधी आँकड़े ही हैं। इस प्रकार से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों, जैसे— भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, अधिगम सामग्री एवं विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए सरकारी योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करने के लिए नामांकन संबंधी आँकड़े ही मुख्य आधार हैं। नामांकित विद्यार्थियों को वह शिक्षा मिले जिस उद्देश्य से वे संबंधित कक्षाओं में नामांकित हुए हैं, उन्हे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए भारत सरकार ने 24 मई 2018 को सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा को एकजुट करते हुए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की। समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा; स्कूली शिक्षा की निरंतरता को कायम रखना; जेंडर असमानता को कम करना; पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षा पर विशेष ध्यान देना एवं दूर-दराज़ के क्षेत्रों में परिवहन की व्यवस्था करना; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का विस्तार 12वीं कक्षा तक करना है। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रतिमाह 200 रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान करना; शैक्षिक अनुदान में वृद्धि करना; पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास करना; कौशल विकास का स्कूली शिक्षा में समायोजना के प्रयास करना इत्यादि भी इसके उद्देश्य हैं।

इस शोध पत्र के आधार पर यह जाना जा सकता है कि आखिरकार किसी भी देश अथवा समाज में लोगों तक शिक्षा की पहुँच की वास्तविक स्थिति क्या है? तथा इसके साथ ही साथ नामांकन दर संबंधी आँकड़ों के आधार पर विभिन्न शैक्षिक तथ्यों का विवेचनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इस शोध पत्र के आधार पर शिक्षा से संबंध रखने वाले उन सभी व्यक्तियों, खासकर के शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षा प्रशासकों में, शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों के नामांकन का अर्थ, नामांकन के मुख्य संकेतक, संकेतकों के गणना करने की विधियाँ, संकेतकों के बीच तकनीकी अंतर एवं उनके शैक्षिक निहितार्थ के संबंध में एक गूढ़ समझ विकसित हो सकती है। नामांकन संबंधी इन संप्रत्ययों की समझ के आधार पर देश में सामाजिक-सांस्कृतिक आधार पर शिक्षा की पहुँच के गैर-बराबरी को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसके अलावा इस शोध पत्र के निम्नलिखित शैक्षिक निहितार्थ हैं—

© NCERT not to be republished

1. शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध रखने वाले व्यक्तियों में शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन का अर्थ एवं उनके मुख्य संकेतकों, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट के संप्रत्यय का विकास होगा।
2. शैक्षणिक क्षेत्र में नामांकन का अर्थ एवं उनके मुख्य संकेतकों, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट के संप्रत्यय की समझ विकसित होने पर देश में लोगों तक शिक्षा की वास्तविक पहुँच एवं विभिन्न सामाजिक समूहों (जैसे—जाति, धर्म, वर्ग, जेंडर आदि) में शिक्षा की सहभागिता को समझा जा सकता है।।
3. सकल नामांकन अनुपात एवं शुद्ध नामांकन अनुपात संबंधी आँकड़ों का विश्लेषण करके विभिन्न तथ्यों, जैसे—अधिक उम्र कम उम्र के विद्यार्थियों की भागीदारी, भौगोलिक आधार पर विद्यार्थियों की सहभागिता, जेंडर असमानता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4. विभिन्न चरों के आधार पर नामांकन दर, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट से संबंधित आँकड़े प्रस्तुत करने वाले विभिन्न दस्तावेज़, जैसे—नीपा द्वारा प्रकाशित *यू-डायस डाटा*, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूली शिक्षा में नामांकन संबंधी आँकड़े जारी करने वाले *एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस* एवं उच्च शिक्षा के नामांकन संबंधी आँकड़े जारी करने वाले ए.आई.एस.एच.ई. (ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन) इत्यादि, की समझ एवं उपयोगिता में वृद्धि होगी।
5. नामांकन दर, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट संबंधी आँकड़ों की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए राज्य शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक विकास योजनाओं एवं नीति निर्धारण कर सकते हैं ताकि सामाजिक शैक्षिक समानता बरकरार रहे।
6. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निम्न सकल नामांकन अनुपात, ठहराव एवं उच्च ड्रॉप-आउट के आँकड़ों के आधार पर उनके कारणों की खोजबीन का रास्ता प्रशस्त हो सकता है, इस आधार पर संभावित प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क, शोध कार्य किया जा सकता है एवं इसकी बेहतरी के लिए नीति निर्धारण किया जा सकता है।
7. शिक्षा के सार्वभौमिक नामांकन स्तर की प्राप्ति हेतु नामांकन के संकेतकों, ठहराव एवं ड्रॉप-आउट की वर्तमान स्थिति का ज्ञान होना अति आवश्यक है।
8. नामांकन के संकेतकों की वस्तु स्थिति का ज्ञान होने पर शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों की तुल्य व बराबर पहुँच हो सके, इसके लिए यथासंभव प्रयास किया जा सकता है।

संदर्भ

अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन. 2004. *द सोशल कांटेक्स्ट ऑफ़ एलीमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया.* 20 अक्तूबर, 2017 को https://azimpremjifoundation.org/pdf/ से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished

जोसेफ, किन्गोरी नद्रिन्गु. 2015. एन्फ्लुशन ऑफ़ कास्ट इन एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेकंडरी स्कूल किकियू सब कंट्री केन्या. *पब्लिश्ड मास्टर थीसिस*. यूनिवर्सिटी ऑफ़ नैरोबी. 20 जनवरी, 2018 को http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/92828/Kingori_Influence%20Of%20Hidden%20Costs%20In%20Education%20On%20Students'%20Participation%20In%20Public%20Secondary% से प्राप्त किया गया है.

दुर्खीम, ईमाइल. 1922. *एजुकेशन एंड सोशियोलाजी*. द फ्री प्रेस, ए डिवीजन ऑफ़ मैकमिलन, न्यूयार्क, लंदन.

नवाचों, जार्ज अवेबा. 2011. द *हिडेन कास्ट ऑफ़ फ्री प्राइमरी एजुकेशन एंड दियर इंप्लीकेशन ऑन एनरोलमेंट इन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, केन्या. पब्लिश्ड रिसर्च प्रोजेक्ट थीसिस*. यूनिवर्सिटी ऑफ़ नैरोबी. 8 जनवरी, 2016 को https://irlibrary.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/3656/Ngwacho%20George%20Areba.pdf?sequence=3 से प्राप्त किया गया है.

नीपा. 2016. *यू-डायस डाटा*. 20 नवंबर, 2017 को http://udise.in/src.html से प्राप्त किया गया है.

न्यामबुरा, नैन्सीमचुरी. 2013. *इफ़ेक्ट ऑफ़ हिडेन कास्ट्स ऑन प्युपल्स पार्टिसिपेशंस इन पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स इन नेयरी म्युनिसिपलिटी केन्या*. पब्लिश्ड मास्टर थीसिस. यूनिवर्सिटी ऑफ़ नैरोबी. 8 जनवरी, 2016 को https://pdfs.semanticscholar.org/a87b/8eb6bc3de93c1daa49440d00dea52b51c02c.pdf से प्राप्त किया गया है.

बोनोइट और जयरामन राजश्री. 2006. *डिटर्मिनेंट्स ऑफ़ स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया*. 20 जनवरी, 2017 को https://ideas.repec.org/a/ucp/ecdecc/y2006v54i2p405-21.html से प्राप्त किया गया है.

मोतीराम, श्रीपदसिंह आशीष. 2012. हाउ क्लोज़्ड द एपल फ़ॉल टू द ट्री? सम एविडेंस फ्रोम इंडिया ऑन इंटरजेनरेशनल ऑक्युपेशनल मोबिलिटी. *इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली*. 6 अक्तूबर, 2012. वॉल्यूम XLVII, नंबर 40.

यूनेस्को. 2010. *एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010—रीचिंग मार्जिनलाइज़्ड*. पृष्ठ संख्या 171.

———. 2015. *सभी के लिए शिक्षा 2000–15—उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ*. 20 दिसंबर, 2017 को http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232565hin.pdfl से प्राप्त किया गया है.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

रुकमणि बनर्जी, जेम्स बेरी और मार्क शॉटलैंड. 2014. द *इम्पैक्ट ऑफ़ मदर लिटरेसी एंड पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स ऑन चाइल्ड लर्निंग—एविडेंस फ्रोम ए रैनडमाइज़्ड इवैल्यूएशन इन इंडिया*. 1 अगस्त, 2017 को http://sites.bu.edu/neudc/files/2014/10/paper_201.pdf से प्राप्त किया गया है.

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग. 2009. *राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. 20 जून, 2017 को https://mhrd.gov.in/hi/rmsa_integrated-hindi से प्राप्त किया गया है.

सीतारामन, निर्मला. 2020. *केंद्रीय बजट का भाषण*. 10 फ़रवरी, 2020 को https://www.indiabudget.gov.in/doc/hbs.pdf से प्राप्त किया गया है.

हुईस्मैन, जनीन, उमा रानी, जेरोन स्मिट्स. 2010. *स्कूल करेक्टरिस्टिक्स एंड कल्चर एज़ डिटेर्मिनेंट्स ऑफ़ प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट इन इंडिया*. 1 अगस्त, 2017 को https://www.researchgate.net/publication/241879708_School_characteristics_socioeconomic_status_and_culture_as_determinants_of_primary_school_enrolment_in_India/link/5428103e0cf2e4ce940c485f/download से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished